भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2887
05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड्स निधि

2887. श्री अमर शरदराव कालेः
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
श्री रमेश अवस्थीः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री आशीष दुबेः
श्री दामोदर अग्रवालः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति संसद सदस्य वार्षिक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) निधि आवंटन, संवितरण और उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) संशोधित दिशानिर्देशों और डिजिटल फंड-फ्लो का स्थानीय कार्यों की स्वीकृति की पारदर्शिता, गति और निगरानी पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या उन्नत डिजिटल इंटरफेस आरंभ से लेकर अंतिम चरण तक परियोजनाओं की निगरानी को सक्षम बनाते हैं और अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के क्षेत्रों के लिए अनिवार्य निधि आरक्षण प्रवर्तन करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक अवसंरचना को बढ़ावा देने वाले ढांचे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) 18वीं लोकसभा के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत आवंटित निधि तथा उसके अनुरूप की गई अनुशंसाओं, स्वीकृतियों एवं विक्रेताओं को किए गए भुगतानों का विवरण एमपीलैड्स -ईसाक्षी पोर्टल के सार्वजनिक डैशबोर्ड (https://www.mplads.mospi.gov.in/digigov/dashboard.html) पर उपलब्ध है।

(ख) योजना को अधिक लचीला, कुशल और प्रभावी बनाने और इसे समुदाय की बदलती विकास आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से एमपीलैड्स के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया को कार्यांवयित करने हेतु ईसाक्षी पोर्टल विकसित किया गया है।

निधि प्रवाह और परियोजना की निगरानी के लिए एमपीलैड्स ईसाक्षी पोर्टल के संचालन के साथ, संबंधित केंद्रीय, राज्य और जिला लॉगिन के तहत समर्पित निगरानी रिपोर्ट और डैशबोर्ड उपलब्ध हैं। इनसे कार्यों की स्थिति और प्रगति के बारे में वास्तविक समय की जानकारी मिलती हैं, जिसमें विभिन्न समय अंतरालों पर स्वीकृति और पूरा करने हेतु लंबित कार्य शामिल हैं, जिससे निरीक्षण को सुदृढ किया जाता है और विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर समीक्षा की सुविधा मिलती है। प्रगति की समीक्षा करने, बाधाओं को दूर करने और कार्यान्वयन दक्षता में सुधार करने हेतु समय-समय पर क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाएं और समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(ग) एमपीलैड योजना के तहत, माननीय संसद सदस्य की भूमिका पात्र कार्यों की संस्तुति करनी होती है, जबकि ऐसे कार्यों की स्वीकृति और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों द्वारा एमपीलैड पर दिशानिर्देशों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के लागू प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी नियमों के अनुसार किया जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आबादी वाले क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना के विकास पर उचित ध्यान देने के लिए, संसद सदस्यों को प्रति वर्ष अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए उक्त वर्ष के लिए कुल एमपीलैड्स पात्रता का कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए उस वर्ष के लिए नियत कुल एमपीलैड्स पात्रता का कम से कम 7.5 प्रतिशत लागत वाले कार्यों की संस्तुति करनी होती है। [एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 का पैरा 5.4.1]

यदि किसी लोकसभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की अपर्याप्त आबादी है, तो इस निधि का उपयोग मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और इसके विपरीत आबादी वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है। [एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 का पैरा 5.4.2]

एमपीलैड्स ईसाक्षी पोर्टल संस्तुति प्रस्तुत करते समय एक समर्पित मंच प्रदान करता है, जो माननीय संसद सदस्य को यह इंगित करने में सक्षम बनाता है कि क्या अनुशंसित कार्य अनुसूचित जातियों (एससी) या अनुसूचित जनजातियों (एसटी) द्वारा बसे क्षेत्र से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, ई-साक्षी पोर्टल एमपीलैड्स के तहत कार्य अनुशंसाओं को प्रस्तुत करने, स्वीकृति देने और निष्पादन के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है। यह वास्तविक समय में कार्य की स्थिति और प्रगति रिपोर्ट प्रदान करता है, जिससे कार्यों की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग आसान हो जाती है।

(घ) स्थानीय रूप से महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए एमपीलैड्स के उद्देश्य के अनुरूप, माननीय संसद सदस्य एमपीलैड दिशानिर्देश, 2023 के प्रावधानों के अधीन सार्वजनिक और सामुदायिक भवनों, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पेयजल और स्वच्छता सहित कई क्षेत्रों में पात्र कार्यों संस्तुति कर सकते हैं। यह योजना माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों के माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधारभूत अवसंरचना के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 में निर्दिष्ट अनुमत कार्यों की सांकेतिक सूची के अतिरिक्त, नए कार्यों को भी जोड़ा जा सकता है, बशर्ते वे योजना के उद्देश्यों और प्रावधानों के अनुरूप हों।
